आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–70 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अनुपस्थिति और आयोग के आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण पेश नहीं करना एक गंभीर विषय है। हो सकता है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 की व्यस्तता के कारण अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शिकायतों के अनुपालन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हों। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वे सभी जिले के उपायुक्त को एक पत्र प्रेषित कर आदेश दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का हनन न होने पाये और अधिकारी लाभुकों को अधिकार न मिलने पर आयोग की निर्देशों एवं लाभुकों की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभुक को खाद्यान्न का संकट न हो। दिनांक–11.03.2024 की सुनवाई में दिये गये आदेश के अनुपालन किये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को नहीं भेजा है। आज की सुनवाई में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं। इस बीच सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है और बकाया राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग उपायुक्त, साहेबगंज को निर्देश देता है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस आशय का स्पष्टीकरण पूछें कि आयोग के निर्देश के बावजूद वे सुनवाई में क्यों नहीं उपस्थित हुए और आयोग के आदेश का अनुपालन का प्रमाण क्यों नहीं भेजा गया ? आयोग उपायुक्त, साहेबगंज को निर्देश देता है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से शिकायतकर्ता के शिकायत का निदान कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को अगली सुनवाई में पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx167	